

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

Endorsement No. 19979
III-6-3/2018

Jabalpur, dated 20/11/2024

Notification(s) F. No. 4202/21-B(1)/2024 dated 24.10.2024, F. No. 4185/21-B(1)/2024 dated 24.10.2024 along with the **Corrigendum** F. No. 4525/21-B(1)/2024 dated 19.11.2024 in respect of date of enforcement of Notification regarding appointment of Shri Anand Kumar Sehlam, XXVII D & ASJ, Jabalpur as Special Judge MPs/MLAs, as per the provisions of different enactments mentioned therein, is forwarded to;

1. The Registrar cum PPS of Honourable Chief Justice for kind information of His Lordship;
2. The Registrar General, the Principal Registrar (Judicial), the Principal Registrar (Vigilance) and the Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for information and necessary action;
3. The Principal District and Sessions Judges, All in the State for information and necessary action;
4. District Judge, (Inspection), Jabalpur, Indore and Gwalior for information and necessary action;
5. The Principal Registrar, Bench at Indore and Gwalior High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
6. The Director, Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur for information;
7. The Member Secretary, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for information;
8. Registrar (Judicial-I), (Judicial-II), (Administration), (Vigilance), (Inspection & Litigation), (Examination and Labour Judiciary) for information;
9. The Registrar Confidential and the Administrative Officer, Checker Section, High Court of M.P., Jabalpur for information.


20.11.2024

RITURAJ SINGH CHOUHAN
REGISTRAR District Establishment

926



मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 24/10/2024

फा.क्रमांक 4202/21-ब (एक)/2024 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को पारित आदेश के अनुपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार, मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (1-ए) के उपबंधों के अनुसार एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार राज्य शासन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49), मध्य प्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीशों के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी अर्थात्:-

सारणी

अनु. क्रमांक	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय के स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री विजय डांगी, उन्नीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर, उज्जैन, धार, झाबुआ, रतलाम, बड़वानी, बुरहानपुर, खण्डवा, खरगौन, अलीराजपुर, नीमच, शाजापुर, मंदसौर एवं देवास।
2.	श्री स्वयं प्रकाश दुबे, इक्कीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल	भोपाल	भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा, राजगढ़, सागर, बैतूल एवं छिन्दवाड़ा।
3.	श्री धीरेन्द्र सिंह परिहार, उन्नीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना एवं शिवपुरी।

Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur

25 OCT 2024

Regl (DE)

To C/Checker

24/11/2024

4.	श्री रूपेश कुमार गुप्ता, छब्बीसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, अनुपपूर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोद एवं सीधी।
----	---	--------	--

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

NOTIFICATION

F.NO.4202-XXI-B(1)/2024- In compliance of the order passed on 14th December, 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Others as per the provisions of sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988), as per the provisions of sub-section (1) and sub-section (1-A) of section 6 of the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (No. 36 of 1981) and as per the provisions of sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the State Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court(s) of Additional Sessions Judge(s) as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act 1988 (49 of 1988), the Madhya Pradesh Dakaiti Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhinyam, 1981 (No. 36 of 1981) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh specified in column (2) of the table below having Headquarters at places specified in column (3) and having jurisdiction for the area comprising of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely:-

TABLE

S.No.	Name of Special Court	Place of Headquarters	Jurisdiction
(1)	(2)		(3)
1.	Shri Vijay Dangi, XXIX th District and Additional Sessions Judge, Indore	Indore	Indore, Ujjain, Dhar, Jhabua, Ratlam, Badwani, Burhanpur, Khandwa, Khargone, Alirajpur, Neemuch, Shajapur, Mandsaur and Dewas.
2.	Shri Swayam Prakash Dubey, XXI th District and Additional Sessions Judge, Bhopal	Bhopal	Bhopal, Sehore, Vidisha, Raisen, Narmadapuram, Harda, Rajgarh, Sagar, Betul and Chhindwara
3.	Shri Dharendra Singh Parihar, XIX th District and Additional Sessions Judge, Gwalior	Gwalior	Gwalior, Bhind, Morena, Sheopur, Datia, Guna, Ashoknagar, Tikamgarh, Chhatarpur, Panna and Shivpuri
4.	Shri Rupesh Kumar Gupta, XXVI th District and Additional Sessions Judge, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Rewa, Shahdol, Umaria, Singrauli, Satna, Katni, Damoh and Sidhi.".

2. This notification shall come into force with immediate effect.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,


मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

//4//

पृ० क्र० 4202/21-ब(एक) /2024,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 24/ 10/2024

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक A/4983/III-6-3/2018 दिनांक 03.07.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर एवं जबलपुर (म० प्र०) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


24.10.24
(ओ.पी. रघुवंशी)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

1040

2



मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक २५/10/2024

फा.क्रमांक 4185/21-ब (एक)/2024 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) 699/2016 अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 14 दिसम्बर, 2017 को पारित ओदश के अनुपालन में तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) की धारा 3 की उप-धारा (1) सहपठित मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) की धारा 6 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (1-ए) एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 14 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में संसद सदस्यों एवं विधानसभा सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (1988 का 49), मध्यप्रदेश डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 (क्रमांक 36 सन् 1981) एवं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) के अधीन पंजीकृत अपराधों के विचारण हेतु नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करता है, जिनका मुख्यालय कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर होगा और जिनकी अधिकारिता उसके कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों के समाविष्ट क्षेत्रों के लिए होगी अर्थात्:-



सारणी

अनु क्रमांक	विशेष न्यायालय का नाम	मुख्यालय का स्थान	अधिकारिता
(1)	(2)	(3)	(4)
"4.	श्री आनंद कुमार सेहलाम, सत्ताईसवें, जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	जबलपुर	जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट, मण्डला, डिण्डौरी, अनुपपूर, रीवा, शहडोल, उमरिया, सिंगरौली, सतना, कटनी, दमोद एवं सीधी।"

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

NOTIFICATION

F.NO.4185-XXI-B(1)/2024- In compliance of the order passed by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil) 699/2016, Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India and Another dated 14th December, 2017 and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act,


 Registrar General
 High Court of M.P.
 Jabalpur
 25 OCT 2024
 Reg. (DE) 
 651422

//2//

1988 (49 of 1988), read with sub -section (1) and (1-A) of section 6 of the Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and also sub-section (1) of Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989), the State Government, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, designate the Court of Additional Sessions Judge as Special Courts to try the offences registered under the Prevention of Corruption Act 1988 (49 of 1988), the Madhya Pradesh Dacoity Aur Vyapharan Prabhavit Kshetra Adhiniyam, 1981 (No. 36 of 1981) and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (33 of 1989) against the Members of Parliament and Members of Legislative Assembly in the State of Madhya Pradesh as specified in column (2) of the table below having Headquarter at place specified in column (3) and having jurisdiction for the area comprising of revenue districts as specified in column (4) thereof, namely:-

TABLE

S.No.	Name of Special Court	Place of Headquarter	Jurisdiction
(1)	(2)		(3)
"4.	Shri Anand Kumar Sehlam, XXVII th District and Additional Sessions Judge, Jabalpur	Jabalpur	Jabalpur, Narsinghpur, Seoni, Balaghat, Mandla, Dindori, Anuppur, Rewa, Shahdol, Umaria, Singrauli, Satna, Katni, Damoh and Sidhi."

2. This notification shall come into force with immediate effect.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)


प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

पृ० क्र० 4185/21-ब(एक) /2024,
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक २५/ 10/2024

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/5316/III-6-3/2018 दिनांक 20.07.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म० प्र० शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म० प्र०) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म० प्र० राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।
6. शाखा प्रभारी, आय० टी० शाखा, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल की ओर अधिसूचना की प्रति नेट पर अपलोड करने बाबत प्रेषित।


24.10-2024
(जी.पी. रघुवंशी)
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

672

3

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

शुद्धिपत्र

भोपाल, दिनांक 19/11/2024



फा.क्रमांक 4525/21-ब (एक)/2024 राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 4185/21-ब (एक)/2024 दिनांक 24 अक्टूबर, 2024 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक, दिनांक 8 नवंबर, 2024 में प्रकाशित हुई थी, के संबंध में निम्नलिखित शुद्धिपत्र जारी करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, बिन्दु क्रमांक (2) से संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां पढ़ी जाएं, अर्थात्:-

“यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2024 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।”

CORRIGENDUM

F.NO.4525-XXI-B(1)/2024- The State Government, hereby, issues the following corrigendum in respect of this department's Notification No. 4185/21-B(One)/2024, dated 24th October, 2024, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, dated 8th November, 2024, Namely:-

In the said Notification, for the entries relating to point number (2), the following entries shall be read, namely:-

“This Notification shall be deemed to have come into force from 20th July, 2024.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(नरेन्द्र प्रताप सिंह)

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 / 11 / 2024

पृ0 क्र0 4525/21-ब(एक) /2024,
प्रतिलिपि:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के पत्र क्रमांक C/7645/III-6-3/2018 दिनांक 06.11.2024 के संदर्भ में,
2. प्रमुख सचिव, म0 प्र0 शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल,
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर (म0प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु (म0 प्र0 राजपत्र के भाग-1 के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ) प्रेषित।

Registrar General
High Court of M.P.
Jabalpur

19 NOV 2024

Reg (D.E.)

19.11.2024

(ओ.पी. रघुवंशी)

सचिव,

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग